

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2022**  
प्र0इ0रि0 सं. **14/2022** दिनांक **18/01/2022**
2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 एक्ट ...धारायें 7, भ्र0निवारण(संशोधित) अधि0 2018  
(II) अधिनियम भा.द.स. धारायें ....201,384, 120बी भादसं .....  
(III) अधिनियम ..... धारायें .....  
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या **443** समय **6:30 PM**  
(ब) अपराध घटने का दिन रविवार दिनांक 16.01.2022 समय 11.45 ए.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - 14.01.2022 समय-02.00 पीएम
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
5. घटनास्थल: पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर राज.  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- लगभग 350 किमी  
(ब) पता- पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर राज.  
बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना .....जिला .....
6. 1. परिवादी / सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम :- श्री सुरेंद्र धारीवाल  
(ब) पिता/पति का नाम - श्री राजपाल उर्फ राजसिंह  
(स) जन्म तिथी/वर्ष - 38 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता - .....भारतीय.....  
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .  
जारी होने की जगह .....  
(र) व्यवसाय- व्यापारी  
(ल) पता- निवासी मकान नंबर ए-5बी, जनकपुरी, दिल्ली पुलिस थाना जनकपुरी दिल्ली
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -  
1. श्री राणीदान पुत्र श्री सवाई सिंह, जाति चारण, उम्र 47 निवासी 64 भवानीपुरा पोकरण, जैसलमेर राज. हाल पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर।  
2. श्री जगदीश सउनि पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :-.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) एक छोटा सीपीयू की मांग कर प्राप्त करना एवं मांग सत्यापन में एक सरकारी वॉईस रिकॉर्डर, परिवादी का एक एप्पल मोबाईल, पॉवर बैंक रिकॉर्डर, सीपीयू
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ..... ..
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2022 को परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल पुत्र राजपाल उर्फ राज सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी मकान नम्बर ए 5बी, जनकपुरी दिल्ली पुलिस थाना जनकपुरी दिल्ली ने एक लिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक अनीता मीणा को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिखाते हुये कक्ष में उपस्थित व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल है। जिन्होंने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त प्रार्थना-पत्र के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने का लिखित में पृष्ठांकित कर मुझे सुपुर्द किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी सुरेंद्र धारीवाल को हमराह लेकर मेरे कक्ष में आई तथा परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल का



पूर्ण नाम पता पूछा । इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि “ सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक C.T IV भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर विषय:- रिश्वत लेने हेतु रंगे हाथ पकड़वाने हेतु, मान्यवर, मैं सुरेंद्र धारीवाल जनकपुरी दिल्ली का निवासी हूँ जनकपुरी में मेरी इलेक्ट्रानिक डिवाइस की SHOP है जैसे हिंडन केमरा माइक्रोफोन स्पीकर GPS TRACKER आदि में डील करते हैं। दिनांक 08.11.2021 थाना गंगाशहर बीकानेर के जगदीश कुमार (A.S.I) और चार सिपाही के साथ मेरी SHOP पर आये उन्होंने SHOP से 1 LAKH 2 हजार रुपये, मेरे 2 फोन, 3 छोट C.P.U, 2 LAPTOP, 1 D.V.R ले लिए इसके बाद उन्होंने SHOP में तोड़ फोड़ की और मुझे गिरफ्तार किया मुझे मुकदमा नम्बर 226/21 थाना गंगाशहर बीकानेर में गिरफ्तार किया और मुझसे कहा कि मैंने अवैध सामान बेचा है, मेरे पास उपकरण बेचने का LICENCE है लेकिन उन्होंने मेरी भी बात नहीं सुनी मेरे दुकान से 1 LAKH 2 हजार रुपये व जो सामान उन्होंने लिया था वो व जो सामान उन्होंने लिया था वो जप्ती मे नहीं दिखाया इसके बाद मुझे बीकानेर लेकर आगए यहा रानीदान (S.H.O) CI थाना बीकानेर गंगाशहर ने मुझे मारा पीटा और मुझसे 5 LAKH की डिमाण्ड की जब मैंने उसको बताया कि मैं 5 LAKH नहीं दे सकता तो उसने मुझे और झूठे केस फंसाने की धमकी जो कि उन लोगो ने मुझे झूठे केस मे फसा दिया अब मुझे और भी केसों में फसाना चाहते हैं पैसे न देने पर मेरे फोन से बीकानेर के जो मेरे client थे उनके नम्बर निकाले और मुझपर उनको फसवाने का दवाव डाला झुमर सोनी बीकानेर का व्यक्ति जो मेरा software, Hardware का client है और मुझे धमकाने लगे कि इसका नाम ले और बोल इसका इसमे Involment है नहीं तो तुझे मारेंगे पीटेंगे मेरे द्वारा नहीं पहचानने पर उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरी p.c बढ़ाई गई, अभी मैं 7/jan/2022 को मैं जमानत पर बरी होकर थाना पहुँचा तो मुझे जगदीश A.S.I और रानीदान C.I थाने पर नहीं मिले तो मैंने उनको फोन किया तो दोनो ने बोला कि तेरा सारा सामान जप्त है तुम्हे इसके लिए रुपये देने पड़ेंगे तभी तुम्हारा सामान तुम्हे देगे मुझे जिस मुकदमे मे उन्होंने गिरफ्तार किया था उसमे मेरी कोई भी सामान की जप्ती नहीं दिखाई अब वो मुझे बीकानेर मे ही एक दुसरे केस पौरव कालेर मे भी फसाने की धमकी व साजिश कर रहे हैं, और मुझे पेशेवर मुजरिम बनाने की धमकी दे रहे हैं दुसरे केसो मे न फसाने की इवज में व मेरा सामान मुझसे 1 LAKH रुपये की मांग कर रहे हैं उन्होंने मुझे धमकाते हुए बोला कि P.C मतलब जानते हो ना पैसा और मेरे घरवालो पर रुपये देने के लिए दबाव बनाया मैं उन्हे रुपये नहीं देना चाहता उचित कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ एसडी सुरेंद्र धारीवाल s/o राजपाल सिंह निवासी A5/B जनकपुरी दिल्ली मोबाईल नम्बर 8076767375, 14/01/2022 इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैंने लिखा है तथा परिवादी ने बताया कि मेरी दिल्ली में ईलैक्ट्रानिक हिडन डिवाइस की पृथ्वीराज एन्टरप्राइजेज के नाम से कम्पनी व शॉप है जिसमें मेरी पत्नी फरह प्रॉपराईटर है। उक्त दुकान व कम्पनी में सम्पूर्ण काम व देखरेख मेरे द्वारा ही किया जाता है। दिनांक 08.11.2021 को जगदीश एसआई व चार कानिस्टेबल मेरी दुकान पर आये और मुझसे मेरे द्वारा ईलैक्ट्रानिक हिडन डिवाइससे के अवैध सामान बेचने के बारे में कहा तो मैंने कहा कि मेरे पास उक्त दुकान में ईलैक्ट्रानिक हिडन डिवाइससे बेचने का लाइसेन्स है लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरी दुकान से एक लाख दो हजार रुपये व मेरे दो फोन, तीन छोटे सीपीयू, दो लैपटॉप, एक डीवीआर लेकर आये तथा मेरे खिलाफ पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर में दर्ज मुकदमा नम्बर 226/2021 में मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी गिरफ्तारी एवं जप्ती में मेरी दुकान से लाये सामान को जप्त करना नहीं दर्शाया जो सम्भवतः उनके पास ही है। जब दिनांक 07.01.2022 को मैं उक्त मुकदमें में जमानत पर बाहर आया तो मैंने जरिये फोन श्री जगदीश एसआई व श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क किया तो उन्होंने मेरा सामान जप्त होना बताया तथा मुझे कहा कि उक्त सामान कोर्ट से ही छूटेगा। उक्त सामान के बारे में वकील से पूछा तो उसने कहा कि आपका सामान जप्त नहीं है। श्री जगदीश एसआई ने मुझे कहा कि मैं अभी गांव आ रखा हूँ तू कल मिल मेरे से, जो पुराना पैण्डिंग हिसाब 1 लाख रुपये है देकर जाना तब ही तेरा सामान लौटा दूंगा तथा मुझे यह भी कहा कि रुपये नहीं देने की एवज में अन्य मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। मेरी श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक व श्री जगदीश एसआई से कोई रंजिश या उधार का लेन देन नहीं है। मैं उन्हें अपने सामान को प्राप्त करने और मुझे अन्य मुकदमें में नहीं फंसाने के लिए रिश्वत के रूप में रुपये नहीं देना चाहता हूँ। परिवादी से दरियाफ्त करने पर मामला रिश्वत लेन देने का प्रथम दृष्टया पायें जाने



पर रिश्तत मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 15.01.2022 को मुदकमा नम्बर 226/2021 में पुलिस थानागंगाशहर में न्यायालय में तारीख पेशी है। आरोपीगण ने मुझे तारीख पेशी के बाद मिलने के लिए बुलाया है। तब वो मुझसे रिश्तत की मांग कर सकते हैं। इसके पश्चात कार्यालय की अलमारी से मास्कनुमा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी सुरेंद्र धारीवाल को चालू व बंद करने की विधि सिखाई गई तथा परिवादी सुरेंद्र धारीवाल स्वयं भी डिजीटल ऑडीयो/वीडीयो रिकॉर्डर का अच्छा जानकार है। इसके पश्चात कार्यालय स्टॉफ श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक न 9 व श्री इन्द्र सिंह कानि न 148 से परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया व परिवादी को बताया कि श्री इन्द्र सिंह कानि आपके साथ मांग सत्यापन की कार्यवाही में साथ रहेंगे तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने इन्द्र सिंह कानि को आवश्यक निर्देश प्रदान किये। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी मास्कनुमा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सुरेंद्र धारीवाल मय मास्कनुमा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, श्री इन्द्र सिंह कानि, श्री हवा सिंह को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के प्राईवेट वाहन से बीकानेर के लिए रवाना किया। इसके पश्चात पूर्व में गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सुर्य प्रकाश व श्री महेश सैनी व ब्यूरो कार्यालय के स्टॉफ को दिनांक 15.01.2022 को समय 6 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिये पाबन्द किया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश उपस्थित कार्यालय आया तथा जिससे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुर्यप्रकाश पुत्र महेशचन्द शर्मा उम्र 31 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पोस्ट रेनवाल फागी, पुलिस थाना फागी हाल पूर्व प्राथमिक शिक्षक समेकित बाल विकास सेवाए जयपुर होना बताया। दुसरा स्तवंत्र गवाह श्री महेश कुमार सैनी के बारे में सुर्यप्रकाश ने बताया कि वह 200 फीट बाईपास अजमेर रोड पर मिल जायेगा। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने रोहित सेपट कनिष्ठ लिपिक से कार्यालय की अलमारी से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी निकालकर आर जे 45 सीएन 8935 में आगे की सीट के पास डेस्क बोर्ड में सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखवाया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह सुर्य प्रकाश व रोहित सेपट कनिष्ठ लिपिक, मय सरकारी वाहन आर जे 45 सीएन 8935 मय चालक के रवाना हुये तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना भाटी व श्री सरदार सिंह कानि न 187, ओम प्रकाश कानि, श्री धर्मवीर कानि, श्रीमती नीलम महिला कानि मय सरकारी वाहन आर जे 14 यूडी 1392 मय चालक के पृथक से बीकानेर के लिए रवाना हुये तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने 200 फीट बाईपास अजमेर रोड से स्वतंत्र गवाह श्री महेश को हमराह लिया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने महेश कुमार सैनी को स्वयं का परिचय देकर उसका नाम पता पूछ तो उसने अपना नाम महेश सैनी पुत्र श्री घासीलाल सैनी उम्र 36 जाति सैनी निवासी 91, माली मोहल्ला सेवा, ग्राम पोस्ट सेवा तहसील दूदू जिला जयपुर हाल पूर्व प्राथमिक शिक्षक समेकित बाल विकास सेवाए जयपुर होना बताया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनो स्तवंत्र गवाह को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया व दिखाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाह द्वारा पृथक पृथक अपनी सहमति देने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मै, श्री इन्द्र सिंह कानि व परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल रात्रि को समय 09.50 पीएम पर बीकानेर से पहले वेस्टा पैलेस बीकानेर में कमरा नम्बर 117 व 118 बुक करवाकर रुके हुए हैं तथा हवा सिंह को आवश्यक हिदायत दी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, श्रीमती वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान जाप्ता के वेस्टा पैलेस बीकानेर पहुँचे, जहां पर पूर्व से श्री हवा सिंह व श्री इन्द्र सिंह द्वारा बुक रूम न 118 में पहुँचे तथा गोपनीयता बनाये रखते हुये मांग सत्यापन के लिए गये हुये परिवादी, श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह का इन्तजार करने के लिए मुक़िम हुये। समय 12.45 पीएम पर श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह व परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल उपस्थित वेस्टा पैलेस बीकानेर में आये, जहां पर इन्द्र सिंह कानि ने मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सपुर्द किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल से पूछने पर बताया कि मै, श्री हवा सिंह, श्री इन्द्र सिंह वेस्टा पैलेस बीकानेर से लगभग समय 10.30 एएम मेरे वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर के



नजदीक पहुँचे, जहाँ पर मैंने मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर पुलिस थाना गंगाशहर के लिए रवाना हुआ तथा श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह बाहर ही रुक गये। परिवादी ने बताया कि मैं पुलिस थाना गंगाशहर में पहुँचा तो वहाँ पर श्री जगदीश एसआई के बारे में पूछा तो थाना पर नहीं होना बताया। इस पर मैंने पुलिस थाना से श्री जगदीश एसआई के मोबाईल नम्बर 9414416686 लिये तथा मेरे मोबाईल नम्बर 8076767375 से श्री जगदीश एसआई के मोबाईल नम्बर 9414416686 पर वार्ता की और पूछा कि थाने पर कब आओगे तो श्री जगदीश एसआई ने बताया कि आधा घण्टे बाद आता हूँ। कुछ समय पश्चात श्री जगदीश एसआई पुलिस थाना गंगाशहर में आया तथा मैं श्री जगदीश एसआई से मिला तथा जगदीश एसआई द्वारा दिनांक 08.11.2021 को मेरी दुकान से 1 लाख दो हजार रुपये लेकर गये थे जिनके बारे में जगदीश एसआई ने कहा कि 1 अंगुली का इशारे कर बताया कि मैंने राणीदान को दिये हैं तो मैंने कहा कि पूरे एक लाख राणीदान को दिये तो उसने कहा कि कोई शक है क्या मैं तेरे आमने सामने करा देता हूँ तथा उसके द्वारा श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक के आने पर उनके सामने रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता करना बताया आदि वार्ताएँ हुई इसके पश्चात मालखाना इन्चार्ज से मिला तथा मेरी फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी के समय जप्त दोनों मोबाईल फोन प्राप्त किये, मालखान इन्चार्ज ने एक रजिस्टर में मेरे हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात श्री जगदीश एसआई ने मुझे लगभग 1 घण्टे के पश्चात वापस बुलाया तथा परिवादी ने बताया कि मेरी श्री जगदीश एसआई से वार्ता होती उस समय ही डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू रखता था उनसे बात नहीं होने पर बंद कर देता तथा जब फिर दुबारा जगदीश एसआई से वार्ता होती तो उस समय ही वापस वॉईस रिकॉर्डर को चालू करता था ताकि वॉईस रिकॉर्डर की बैटरी खत्म नहीं होवे। इस पर मैं पुलिस थाना से बाहर आकर मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर श्री इन्द्र सिंह को दे दिया तथा इनके साथ रवाना होकर वेस्टा पैलेस बीकानेर पहुँचा। इस पर श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह कानि से पूछने पर उपरोक्त वार्ता की ताईद की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को लैपटॉप की सहायता से सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश एसआई व परिवादी के मध्य हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। किन्तु आरोपी जगदीश एसआई द्वारा परिवादी के सामान एवं अन्य मुकदमा में राहत दिये जाने हेतु रिश्वत राशि का खुलासा नहीं किया गया है अन्य संदिग्ध आरोपी श्री रानीदान पुलिस निरीक्षक के आने पर उसके समक्ष ही वार्ता करना बताया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश व श्री महेश सैनी का परिवादी सुरेंद्र से आपस में परिचय करवाया। परिवादी सुरेंद्र धारीवाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैंने मेरे स्वयं के पॉवर बैंक रिकॉर्डर में वीडियों रिकॉर्ड किया है। इस पर पॉवर बैंक वीडियों रिकॉर्डर को लैपटॉप से जोड़कर चलाकर देखा तो उक्त वीडियों रिकॉर्ड होना पाया गया तथा वीडियों को लैपटॉप में सेव कर सुरक्षित रखा। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल को मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह कानि के परिवादी के प्राईवेट वाहन से मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिए मुनासिब हिदायत देकर पुनः रवाना किया। समय 3.17 पीएम पर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल व श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह कानि मय मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के परिवादी के प्राईवेट वाहन से वेस्टा पैलेस बीकानेर उपस्थित आये तथा इन्द्र सिंह आरक्षक ने मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सुरेंद्र धारीवाल से पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैं, श्री हवा सिंह व इन्द्र सिंह के वेस्टा पैलेस बीकानेर से रवाना हुये तो रास्ते में समय 01.50 पीएम पर श्री जगदीश एसआई के मोबाईल नम्बर 9414416686 से मेरे मोबाईल नम्बर 8076767375 पर फोन आया तथा मेरे से कहा कि आप थाने पर आकर मेरे से मिलो मैं पुलिस थाने पर आ गया हूँ। इसके कुछ समय पश्चात ही मैं व श्री हवा सिंह व श्री इन्द्र सिंह पुलिस थाना गंगाशहर के नजदीक पहुँचे, जहाँ पर मैंने मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर के अन्दर गया तथा श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह कानि बाहर ही रुक गये। इसके पश्चात मैं अन्दर गया तो वहाँ श्री जगदीश एसआई से मिला तो उन्होंने कहा कि श्री रानीदान पुलिस निरीक्षक जी अभी काईम मिटींग में गये हुये हैं उनके आने पर ही वार्ता हो सकेगी। इसलिये आप 5.30 पीएम पर आना तथा जगदीश एसआई ने



लौहे की अलमारी से दो लैपटॉप व एक डिवीआर निकालकर मुझे दिये तथा मैंने श्री जगदीश एसआई से तीन छोटे सीपीयू मांगे तो उसने कहा कि श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक ही देंगे। इसके पश्चात मैं रवाना होकर बाहर आया तथा मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर श्री इन्द्र सिंह को दे दिया। इसके पश्चात मैं व श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह मेरे वाहन से रवाना होकर वेस्टा पैलेस बीकानेर आये। इस पर हवा सिंह व श्री इन्द्र सिंह से पूछने पर उपरोक्त वार्ता की ताईद की तथा मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो परिवादी के द्वारा कही बातों की ताईद हुई। पूर्व में पुलिसकर्मियों द्वारा मांग सत्यापन एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान वॉयस रिकॉर्डर को नष्ट करने व नष्ट करने की नियत से लेकर भाग जाने संबंधी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मास्कनुमा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में उक्त मांग सत्यापन की वार्ताएँ को कार्यालय के लैपटॉप में सेव किया गया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल ने बताया कि मैं कुछ समयपूर्व बाहर जाकर मेरे मोबाईल नम्बर 8076767375 से श्री जगदीश एसआई के मोबाईल नम्बर पर 9414416686 पर बात की तो उसने कहा कि अभी राणीदान नहीं आये हैं। इसके पश्चात संदिग्ध आरोपीगण का कोई फोन नहीं आने पर मन् पुलिस निरीक्षक व स्वतंत्र गवाहान व अन्य हमराहियान को गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत देकर रात्रि विश्राम हेतु बीकानेर में ही रुकने का निर्णय किया। दिनांक 16.01.2022 समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सुरेंद्र धारीवाल के मोबाईल नम्बर 8076767375 से श्री जगदीश एसआई के मोबाईल नम्बर 9414416686 पर वार्ता करने पर श्री जगदीश एसआई ने कहा कि मैं अभी थाने पर नहीं आया हूँ ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक पुलिस थाने पर आऊंगा। जब परिवादी ने अपने सीपीयू के बारे में पूछा तो आरोपी जगदीश एसआई ने कहा कि उनसे बात करके उनके कहे अनुसार ही काम करना बताया। परिवादी ने बताया दिनांक 15.01.2022 को आरोपी श्री जगदीश एसआई ने मेरे मोबाईल व पॉवर बैंक रिकॉर्डर को चैक किया था। इस पर आज मांग सत्यापन के दौरान एक अन्य पैनड्राईवनुमा रिकार्डर परिवादी को ऐतिहातन देकर रवाना किया जायेगा। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप बॉक्स से मास्कनुमा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व पैनड्राईवनुमा रिकार्डर मय माईक्रो एसडी निकालकर परिवादी को मास्कनुमा एवं पैनड्राईवनुमा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसकी फर्द सुपुर्दगी बनाई गई जिसे पृथक से शामिल कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात् इस मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल को मास्कनुमा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व पैनड्राईवनुमा रिकार्डर मय माईक्रोएसडी के श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह कानि के साथ परिवादी के प्राईवेट वाहन से मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिए मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया। इसके पश्चात् समय 11.45 एएम पर श्रीमती वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री इन्द्र सिंह कानि. ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल को पुलिस थाना में बैठा लिया है। तुरन्त उचित कार्यवाही की जाना आवश्यक है नहीं तो आरोपी परिवादी से मास्क डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व पैनड्राईवनुमा रिकार्डर लेकर खुर्द बुर्द कर सकता है। जिस पर श्रीमती वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ब्यूरो मुख्यालय के उच्चधिकारियों व जिला पुलिस बीकानेर के उच्चाधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया। इसके पश्चात् समय 2.40 पीएम पर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल व श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह कानि मय पैनड्राईवनुमा वॉईस रिकॉर्डर लेकर उपस्थित कार्यालय आये तथा श्री इन्द्र सिंह कानि. ने पैनड्राईवनुमा वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल से हालात के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं मास्क वाला डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व पैनड्राईवनुमा वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर पैनड्राईवनुमा वॉईस रिकॉर्डर को पेन्ट के अन्दर छिपाकर तथा मास्क वाला डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मुहं पर लगाकर पुलिस थाना गंगाशहर के अन्दर गया तथा श्री इन्द्र सिंह कानि व श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक बाहर ही रुक गये, मैं पुलिस थाना गंगाशहर के अन्दर गया तो श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक थाने परिसर में मिले तथा मैंने सामान लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने पहले कहा कि कौनसा सामान। तब मैंने कहा कि मेरे तीन छोटे सीपीयू हैं तो उन्होंने कहा कि वो तो गुम हो गये, तब मैंने वही उपस्थित राजाराम को कहा कि आप लेकर आय बताओ, इसके पश्चात रानीदान ने कहा कि कितने थे कितनी राशि के थे तो मैंने कहा कि तीन थे बीस बाईस हजार का एक है। इसके पश्चात अन्य



वार्ता कर श्री राणीदान सीआई मेरे फोन व पॉवर बैंक बाहर खड़े सिपाही सुनील को दिलवाकर मुझे अपने साथ उनके चैम्बर में ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। अन्दर जाकर कहा कि बैठ जाओ। इसके पश्चात राणीदान पुलिस निरीक्षक ने तीन छोटे सीपीयू अपनी टेबल की दराज से बाहर निकाले तथा एक छोटा सीपीयू मेरे से मांग कर रख लिया तथा दो छोटे सीपीयू मुझे दे दिये। इसके पश्चात मैंने श्री जगदीश एएसआई के द्वारा मेरी दुकान से 1 लाख दो हजार रुपये लेकर गये थे उनके बारे में जब मैंने राणीदान को कहा तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने राणीदान को पैसों के बारे में दुबारा कहा तो उसने कहा कि पैसों के बारे में मेरे से बात मत कर तथा मुझे अन्य केस में मदद करने के लिए कहा। इसके पश्चात जब मैं बाहर आया तो सुनील को मुझ पर संदेह होने पर अन्य चार ओर सिपाहीयो ने मुझे घेरकर अन्दर दूसरे कक्ष में ले गये, जहां पर राणीदान सीआई व राजाराम ने आकर मेरी तलाशी ली तथा मेरे पास से मास्क वाला डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ले लिये तथा पैनड्राइवनुमा वॉईस रिकॉर्डर उनको नहीं मिला। इसके पश्चात राणीदान ने मुझे थाने में बिठा दिया तथा धमकाने लगा की इसको 151 में बंद कर दो जमानत नहीं होने देना, दो दिन बाद पोरव आ रहा है फिर इसको गिफ्तार करेंगे। इसके पश्चात श्री राणीदान सीआई मास्क वाला डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, एक मोबाईल फोन, दो छोटे सीपीयू व एक पॉवर बैंक को लेकर थाने से चला गया। इसके पश्चात श्री इन्द्र सिंह को बाहर से पकड़कर लाये तथा मेरे पास बिठा दिया, तब मैंने थोड़ी देर बाद सावधानी पूर्वक पैनड्राइवनुमा वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर श्री इन्द्र सिंह को दे दिया था। इसके पश्चात पुलिस थाना गंगाशहर के कर्मचारियों को श्री इन्द्र सिंह का एसीबी कर्मचारी होने की जानकारी हो गई। श्री इन्द्र सिंह ने बाहर जाकर श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को पैनड्राइवनुमा वॉईस रिकॉर्डर देकर वापस आ गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री इन्द्र सिंह को पूछा तो उसने कहा कि मैं, परिवादी सुरेंद्र धारीवाल व श्री हवा सिंह करीब समय 11.00 एएम पर पुलिस थाना गंगाशहर के नजदीक पहुँचे, जहां पर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल दोनो वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर थाने के अन्दर चला गया। मैं थाने के बाहर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल के प्राईवेट वाहन में बैठा रहा तथा हवा सिंह मुख्य आरक्षक थाने से थोड़ी दूर चला गया। कुछ समय पश्चात पुलिस थाना गंगाशहर के अन्दर से दो तीन पुलिस वाले आकर मुझे पकड़कर थाने के अन्दर ले गये, जहां पर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल को बिठा रखा था। परिवादी के पास मुझे भी बिठा दिया तथा हम दोनो को धमकाने लगे। कुछ समय पश्चात परिवादी सुरेंद्र धारीवाल ने मुझे सावधानी पूर्वक पैनड्राइवनुमा वॉईस रिकॉर्डर निकालकर दे दिया। जिसको मैंने मेरे पास सुरक्षित रख लिया। जब पुलिस कर्मचारियों को यह जानकारी हो गई कि मैं एसीबी कर्मचारी हूँ तब सभी घबराह गये। इसके पश्चात मैं बाहर जाकर पैनड्राइवनुमा वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को दे दिया तथा श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को कहा कि आप उच्चाधिकारियों को बतावो तथा मैं थाने के अन्दर परिवादी के पास आ गया। इसके पश्चात श्री पवन भदौरियों उप अधीक्षक पुलिस थाने पर आये, जिनको मैंने सम्पूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराया तथा परिवादी सुरेंद्र धारीवाल को छुड़वाया। इसके पश्चात मैं, श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल थाने से रवाना होकर वेस्टा पैलेस बीकानेर पहुँचे। इसके पश्चात श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक से पूछने पर श्री इन्द्र सिंह की कही वार्ता की ताईद की। पैनड्राइवनुमा वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप की सहायता से सुना गया तो सत्यापन के दौरान संपूर्ण घटनाक्रम रिकॉर्ड होना पाया गया। आरोपी श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक सरकारी मास्कवाला डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर फरार हो गया तथा उसको खुर्दु बुर्द कर सकता है तथा परिवादी सुरेंद्र धारीवाल के भी सीपीयू, एक मोबाईल फोन, पॉवर बैंक रिकॉर्डर लेकर भाग गया है। इसलिये इन्द्र सिंह कानि को राणीदान पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही के लिए उप अधीक्षक पुलिस सदर बीकानेर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक व श्री इन्द्र सिंह कानि व परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल को पुलिस थाना गंगाशहर के लिए रवाना किया इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय श्रीमती वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान स्टॉफ मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप व अन्य सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुँचे। श्री इन्द्र सिंह कानि मांग सत्यापन के दौरान हुये घटनाक्रम की एक रिपोर्ट पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर में दर्ज करवाई थी जिसकी प्रकरण संख्या 13/2022 पुलिस थाना



गंगाशहर बीकानेर की एफआईआर की एक प्रति प्रस्तुत की जो शामिल कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सुरेंद्र धारीवाल व स्वतंत्र गवाहान सुर्यप्रकाश शर्मा व महेश सैनी की उपस्थिति में कार्यालय के लैपटॉप में पूर्व से सुरक्षित रखी दिनांक 15.01.2022 को परिवादी एवं आरोपी जगदीश एसआई की वार्ताएं व दिनांक 16.01.2022 को परिवादी व आरोपी श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक के मध्य मांग सत्यापन की वार्ताएं व परिवादी द्वारा स्वयं के पावरबैंक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड विडियो की डीवीडी बनायी जाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनायी गयी।

अब तक की मांग सत्यापन कार्यवाही, फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता, तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि आरोपी श्री राणीदान थानाधिकारी पुलिस थाना गंगाशहर व श्री जगदीश एसआई पुलिस थाना गंगाशहर द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल के विरुद्ध पुलिस थाना गंगाशहर में दर्ज प्रकरण संख्या 226/2021 में श्री जगदीश एसआई द्वारा दिनांक 08.11.2021 को परिवादी की पृथ्वीराज एन्टरप्राइजेज के नाम से जनकपुरी में स्थित शॉप में जाकर एक लाख दो हजार रुपये, दो मोबाईल, तीन छोटे सीपीयू, दो लेपटॉप, एक डीवीआर लेकर आना, परिवादी के उपरोक्त सामान को अवैध रूप से रिकॉर्ड में नहीं दर्शाकर अपने कब्जे में रखना तथा दिनांक 15.01.2022 को हुई मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री जगदीश एसआई द्वारा दिनांक 08.11.2021 को एक लाख दो हजार रुपये लेकर आये थे जिसमें एक लाख रुपये प्राप्त कर स्वीकार करना तथा आरोपी श्री राणीदान को देना तथा उसके सामने रुबरु बात करवाना तथा दिनांक 16.01.2022 को हुई मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राणीदान द्वारा अन्य केस में मदद करने तथा परिवादी के तीन छोटे सीपीयू में से रिश्वत के रूप में दो सीपीयू देने की एवज में एक सीपीयू मांग कर प्राप्त करना तथा आरोपी श्री जगदीश एसआई द्वारा एक लाख रुपये लेने में अपना बचाव करते हुये बात को टालते हुये "कोई बात नहीं" कहकर स्वीकारोक्ति में सहमति देना तथा परिवादी को 151 में बंद करने व पोख केस में पुनः फंसाने की धमकी देना, आरोपी राणीदान सीआई परिवादी का एक मोबाईल, पॉवर बैंक ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डर, तीन सीपीयू एवं मास्कनुमा सरकारी वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड अपनी मांग सत्यापन संबंधी वार्ता आदि साक्ष्यों को नष्ट करने की नीयत से लेकर मौके से फरार हो गया। आरोपी श्री राणीदान थानाधिकारी पुलिस थाना गंगाशहर व श्री जगदीश एसआई पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर के विरुद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 201,384,120 बी भादस का अपराध कारित करना पाया जाने से आरोपीगण श्री राणीदान थानाधिकारी पुलिस थाना गंगाशहर व श्री जगदीश सउनि पुलिस थाना गंगाशहर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रस्तुत है।

भवदीया



(अंशिता)

पुलिस निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अनीता, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 तथा 384, 201 एवं 120बी भादंसं. में वर्णित अभियुक्त (1) श्री राणीदान, थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर एवं (2) श्री जगदीश सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 14/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियों एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तपतीश जारी है।

6.8.1/2022  
उप महानिरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक : 114-19 दिनांक 18.01.2022

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सतर्कता) पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

6.8.1/2022  
उप महानिरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।